मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. सी-3-32/97/3/1 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय.—विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग में परामर्श हेतु भेजे जाने वाली नस्तियों के संबंध में.

सामान्य प्रशासन विभाग को शासन के विभिन्न विभागों से अभिमत परामर्श हेतु प्रकरण प्राप्त होते है. इन प्रकरणों को यथा समय त्वरित गति से मत देने का प्रयास किया जाता है.

2. कतिपय प्रकरणों में कुछ कमियों के कारण शीघ्र मत दिया जाना संभव नहीं हो पाता. ऐसे प्रकरणों में मुख्य रूप से वह कमी पाई जा रही है कि प्रकरण बिना संक्षेपिका के अवर सचिव/उप सचिव स्तर से ही भेज दिये जाते हैं तथा इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि किस बिन्दु पर अभिमत आदेशित है इससे प्रकरणों को सामान्य प्रशासन विभाग में परीक्षण में कठिनाई आती है इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा प्रकरण की जो संक्षेपिका रखी जाती हैं वह अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होती है. यदाकदा संक्षेपिकायें अधीनस्थ कार्यालयों में भेजी संक्षेपिका बिना परीक्षण किये भेज दी जाती है . तात्पर्य यह है कि इस स्थिति में प्रकरणों का परीक्षण करना संभव नहीं हो पाता है और अवैध अपूर्ण प्रकरणों को वापिस करना पड़ता है जिससे प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है.

3. उपरोक्त स्थिति को विचार में लेते हुए यह निर्देश दिए जाते है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परमार्श हेतु भरे जाने वाले प्रकरणों के साथ स्वयं स्पष्ट संक्षेपिका मय संदर्भ के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ रखी जावें. भेजी जाने वाली संक्षेपिकाओं में निम्न बिन्दुओं का समावेश हो:—

(1) संक्षेपिका में प्रकरण के तथ्य (Chronogical order) दिए जावें. जिससे जिस विषय पर मत चाहा जा रहा है उसकी back ground स्पष्ट हो.

(2) निर्णय/परामर्श हेतु लिये जाने वाले बिन्दु का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये.

(3) वित्त विभाग से संबंधित यदि कोई बिन्दु हो तो वित्त विभाग की सिफारिश का स्पष्ट उल्लेख किया जाये. तथा तदुपरांत नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाये.

संक्षेप में संक्षेपिका में विचाराधीन प्रकरण की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने वाला वर्णन हो. अंतिम कंडिका में उन मुद्दों को स्पष्ट किया जावे जिन पर सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत की अपेक्षा है.

4. संक्षेपिका के बिना प्राप्त प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव न होगा.

हस्ता./
(आलोक श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.